

प्रेस विज्ञप्ति

फैक्ट फाइंडिंग की तारीख : 17/08/2018 से 19/08/2018

विशय: खुंटी में हुए गैंग रेप की घटना, घाघरा और आस—पास के गांवों में प्रशासन के दमन, बेतला टाईगर रिजर्व में प्रशासन और सरकार द्वारा विस्थापन और 20 सामाजिक कार्यकर्ताओं पर राजद्रोह के मुकदमों को लेकर फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट

महोदय/महोदय,

17 से 19 अगस्त के बीच 10 लोगों की डब्लू एस एस और सी डी आर ओ और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम झारखण्ड में विभिन्न जगहों पर हो रहे मानवाधिकारों के हनन के मामले को लेकर जगह-जगह गई और जांच किया। इस फैक्ट फाइंडिंग में मुख्यतः चार मुद्दों पर जांच की गई है: 1, खुंटी में हुए गैंग रेप की घटना और उससे जुड़े मामले, 2, घाघरा और आस—पास के गांवों में प्रशासन के दमन, 3, बेतला टाईगर रिजर्व में प्रशासन और सरकार द्वारा विस्थापन, और 4, झारखण्ड में विभिन्न लोगों पर हुए राजद्रोह के मुकदमों

खुंटी गैंग रेप और संबंधित मामलों में फैक्ट फाइंडिंग टीम की जांच में पाए गए तथ्य:

20 जून को पुलिस को गैंग रेप की घटना की जानकारी मिली, लेकिन एफ आई आर या मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक यह स्पष्ट नहीं है कि, उन्हें घटना की जानकारी कहां से मिली। फैक्ट फाइंडिंग की टीम द्वारा पुलिस अधिकारी से पूछ-ताछ करने पर यह पता चला कि यहां तक कि महिला थाना को घटना की जानकारी एस पी ऑफिस से मिली थी। एस पी से इसके बारे में पूछने पर उन्होंने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। 20 जून की रात से ही पुलिस ने पीड़िताओं से संपर्क साधने की कोशिश की। पर, वे 21 जून को पीड़िताओं तक पहुंच पाए।

गैंग रेप से जूझ रही पांचों महिलाओं को पुलिस द्वारा उनकी रक्षा करने के नाम पर, गैर कानूनी रूप से पुलिस कि हिरासत में काफी समय तक (तीन हफ्ते तक) रखा गया। पुलिस की हिरासत में 3 हफ्ते तक उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, केवल एन सी डब्लू की टीम उनसे मिल पाई। यहां तक की, एक पीड़िता के परिजनों के अनुसार उनको भी पीड़िता से घटना के दो-तीन दिन बाद केवल थाने में पुलिस वालों की मौजूदगी में पांच-दस मिनट के लिए मिलने दिया गया। प्रशासन की इस कार्यवाही को एस पी ने दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए सही बताया है। महिलाओं को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की बात प्रशासन द्वारा की गई थी, पर परिवार और एस पी से बात करने पर पता चला कि अभी तक केवल एक लाख रुपये दिए गए थे।

फादर आलफान्स पर एफ आई आर में षडयंत्र करना, जबदस्ती रोककर रखना और गैंग रेप के जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। फादर के बारे में एफ0 आई0 आर0 में यह आरोप लगाया गया है कि, उन्होंने नन को रोक लिया जबकि बांकि लड़कियों को जानबूझ कर मोटर साइकिल पर सवार चार लोगों के साथ जंगल में जाने दिया। पर, फैक्ट फाइंडिंग टीम को अन्य सूत्रों से यह पता चला है कि फादर खुद उस परिस्थिति में डरे हुए थे। मामले में बिना ठोस आधार के इतने गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

इस मामले में संजय शर्मा का कोई पता नहीं चला है, कि वह कहां है। मामले में घटना के दिन महिलाओं के साथ गई दोनों सिस्टर का भी कोई पता नहीं है। वह भी काफी डरे हुए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। इसके अलावा, इस मामले में पत्थलगढ़ी आंदोलन को भी गैर कानूनी दबाव बना करके दबाया जा रहा है। 26 जून को घाघरा में पुलिस के जवानों ने यह कहकर अंदर घुसने की कोशिश कि, की वहां रेप के मामले के आरोपी पत्थलगढ़ी में शामिल होने वाले हैं। जबकि घाघरा गांव में पत्थलगढ़ी को लेकर ग्राम सभा हो रही थी जहां आस—पास के गांव के लोग आए थे। वहां पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हुई जिसके कारण एक व्यक्ति कि मौत हो गई और कई घायल हैं, जबकि कई महिलाओं पर यौन हिंसा हुई है। घाघरा में भी पुलिस ने करीब दो हफ्तों तक कैम्प किया था और आज भी पुलिस की गश्त उस इलाके में होती रहती है। साथ ही, कोचांग में अर्धसैनिक बलों के पांच कैम्प लगाए गए थे जिसमें से तीन कैम्प अभी भी वहां है। कोचांग में गैंग रेप की घटना के बाद, फिलहाल कैम्प कोचांग के स्कूल में लगा है जिसके कारण गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कैम्प लगाने के लिए गांव के लोगों के उपर जमीन देने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि छोटा नागपुर टेनेन्सी एक्ट के अंतर्गत गैर आदिवासियों को जमीन नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं करने पर गांव वालों को धमकाया जा रहा है कि कैम्प के लिए जमीन नहीं देने पर उनपर मुकदमा कर दिया जाएगा। कोचांग और आस—पास के इलाकों में ग्राम प्रधान और गांव वालों पर राजद्रोह

और अन्य धाराओं के अंतर्गत कई एफ आई आर डाले गए हैं। पर आज तक उनके खिलाफ वारंट नहीं निकला है। इन सभी घटनाक्रमों के कारण पूरे इलाके में डर का माहौल है। पुलिस लोगों पर फर्जी मुकदमा करके उन्हें चुप्पी साधने पर मजबूर कर रही है।

घाघरा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा दमन फैक्ट फांडिंग टीम की जांच में पाए गए तथ्य:

घाघरा गांव में पत्थलगढ़ी को लेकर ग्राम सभा हो रही थी जहां आस-पास के गांव के लोग आए थे। वहां पुलिस यह कहकर पहुंच गई कि कोचांग में पांच महिलाओं के साथ हुए गैंग रेप के मामले में शामिल अपराधी वहां आए हुए हैं, और गांव वालों के उपर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़े गए और फाईरिंग की गई। उस क्रम में एक व्यक्ति बिरसा मुंडा की मौत लाठी से मारे जाने के कारण हो गई जिसकी पुष्टी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई है। इस मामले में बिरसा मुंडा के परिजनों को उनकी मौत के तीन दिन बाद थाने के दो-तीन चक्कर लगाने के बाद उनका शरीर परिजनों को सौंपा गया। इस मामले में पुलिस ने 302 के अंतर्गत मामला दर्ज कर दिया। इसके अलावा घाघरा के लोगों के उपर राजद्रोह के दो मुकदमें डाले गए हैं।

27 जून को सी आर पी एफ, रेफ, जे ए एफ और होम गार्ड के जवान घाघरा और उससे सटे गांवों में घुस गए। घाघरा से सटे 8 गांव हैं जहां पुलिस गई थी, पर उनमें से केवल 3 से 4 गांवों में पत्थलगढ़ी हुई थी। पुलिस जब उन गांवों में घुसी जहां पत्थलगढ़ी हुई थी, उनमें से दो गांवों में लोगों को पीटा गया, और बांकि के लोग पुलिस के आने की सूचना पाकर अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। इन गांवों में लोगों को मारा — पीटा गया, जिसमें कुछ लोगों को चोट पहुंची, एक बच्ची का हाथ भी टूट गया। जबकि, बांकि के गांवों में पुलिस ने लोगों के घर में घुसकर तलाशी ली।

घाघरा में उस दौरान एक महिला के साथ रेप होने की पुष्टि की गई है। जबकि, बांकि महिलाओं के साथ भी यौन हिंसा होने की बात बताई गई है। इसके साथ ही, गांव में लोगों के घरों में घुस कर अर्धसैनिक बलों द्वारा मार-पीट, तोड़-फोड़ और लूट-पाट की गई थी। चर्च के अर्धसैनिक बलों ने घुसकर पेशाब किया और नुकसान पहुंचाया।

पलामू टाईगर रिजर्व – फैक्ट फांडिंग टीम की जांच में पाए गए तथ्य:

फैक्ट फांडिंग टीम विजयपुर गांव, रुध पंचायत, गारु ब्लाक, लातेहार जिला में जांच के लिए गए। वहां टीम 4 गांव के लोगों से मिले: विजयपुर, पांडरा, गुटवा और गोपकर। 21 फरवरी, 2018 को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक गेजेट निकाला गया जिसमें पलामू टाईगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क के 398 गांवों को इको सेंसेटिव जोन घोषित कर दिया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने इन गांवों के इको डेवेलपमेंट कमिटी को 27 अप्रैल 2018 को एक नोटिस जारी किया कि वे इन गांवों के विस्थापन के लिए सहमति दे दें। इको डेवेलपमेंट कमिटी में वन विभाग के लोग भी होते हैं, जिसके कारण विजयपुर की ग्राम सभा में यह तय किया गया कि इको विकास समीति को सहमति देने का कोई हक नहीं है। वन अधिकार कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को ही सहमति देने या नहीं देने का अधिकार है। कई गांवों ने विस्थापन के लिए सहमति देने से इंकार कर दिया है। 80 गांव वालों पर वन विभाग द्वारा वन उपज जमा करने के लिए फर्जी मामले डाले जा रहे हैं। वन अधिकार कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को वन उपज के उपर मालिकाना हक है। मिटिंग में उपस्थित 4 गांव वालों पर विस्थापन के लिए सहमति देने के लिए प्रशासन द्वारा काफी दबाव बनाया गया है।

20 सामाजिक कार्यकताओं पर राजद्रोह – फैक्ट फांडिंग टीम की जांच में पाए गए तथ्य:

झारखण्ड के 20 सामाजिक कार्यकताओं के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया गया है जिसमें राजद्रोह, देश से जंग लड़ने, षडयंत्र करने जैसे संगीन आपराधिक धाराएं लगाई गई हैं। एफ आई आर में यह धाराएं फेसबुक पोस्ट के आधार पर लगाई गई है। इसमें कई के उपर ये धाराएं केवल फेसबुक पोस्ट को पसंद करने के लिए डाली गई है। इस मामले में अभी तक अभियुक्तों के खिलाफ वारंट नहीं निकला है। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि जिनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुआ है वह सभी पढ़े-लिखे तबके से आते हैं और गरीब आदिवासियों और हाशिये पर रह रहे समाज के सवालियों पर काम करते रहे हैं। ये सभी सरकार और पुलिस की असंवैधानिक और दमनकारी नीतियों और प्रशासनिक कार्यवाहियों के उपर सवाल उठाते रहे हैं।

हमारी मांगें

- घाघरा में महिलाओं के उपर अर्धसैनिक बलों और पुलिस द्वारा किए गए यौन हिंसा और पत्थलगढ़ी आंदोलन को दबाने की प्रशासन की कोशिश पर स्वतंत्र जुडिशियल कमिशन बिठाया जाए।

- खुंटी जिले में कोचांग व अन्य जगहों पर जहां अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, वहां से उन्हें हटाया जाए। कोचांग के स्कूल से अर्धसैनिक बलों का कैम्प हटाया जाए और वहां के गांव वालों पर कैम्प बनाने के लिए गांव की जमीन देने की गैरकानूनी मांग पर रोक लगाई जाए।
- 21 फरवरी, 2018 को वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निकाले गए गेजेट को वापस लिया जाए जिसमें पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क के 398 आदिवासी गांवों को इको सेंसिटिव ज़ोन घोषित कर दिया गया है। यह वन अधिकार कानून, वाईलड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट और पेसा का उल्लंघन करता है।
- बेतला टाइगर रिजर्व में आदिवासियों के वन अधिकारों के प्रयोग को प्रशासन (खास कर वन विभाग द्वारा) रोकने के हर प्रयास को बंद किया जाए।
- शिडयूल पांच के इलाकों में जबरन विस्थापन, पुनः स्थापन, भूमि अधिग्रहण को रोका जाए और वन अधिकार कानून, पेसा, छोटा नागपुर टेनेन्सी एक्ट और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को लागू किया जाए।
- झारखण्ड के 20 सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगाए गए राजद्रोह के मुकदमें वापस लिए जाएं। साथ ही, गांव वालों और ग्राम प्रधानों पर लगाए गए राजद्रोह और अन्य मुकदमें वापस लिए जाए।

डब्लू एस0 एस0 और सी0 डी0 आर0 ओ0 की सांझा फैक्ट फाइंडिंग टीम
संपर्क :

तपस – 9830372229, राधिका – 9873310630, पूजा – 6202157299